

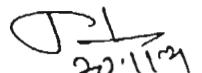
कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.11(7)/वित्त (नियम)/2008 दिनांक:12.09.08 एवं आदेश संख्या एफ.11(7)/वित्त (नियम) पार्ट-I/2008 दिनांक: 06.08.2008 के अनुसरण में राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता को राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 14 एवं 15 के तहत उनके नाग के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) वेतन बैंड (9300-34800)/(15600-39100)/पे मैट्रिक्स लेवल एवं कॉलम संख्या 08 के अनुसार ग्रेड वेतन एवं लेवल संख्या, कॉलम संख्या 09 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	विषय	जन्मतिथि	एसीपी गणना हेतु प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता पद पर चयन का प्रकार	एसीपी स्वीकृति से संबंधित सेवावधि का विवरण	PAY MATRIX LEVER NO/ GRADE PAY	एसीपी स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गोविन्द प्रसाद गुप्ता, व्यापारिक रा.उ.मा.वि. नसीराबाद, अजमेर	गणित	20/07/1966	02-07-90 व.अ.	डीपीसी	तृतीय (30 वर्ष)	L-14	02-07-2020
2	सुनील कुमार जैन, रा.उ.मा. वि. खेरोदा, उदयपुर	गणित	13/11/1966	02-07-90 व.अ.	डीपीसी	तृतीय (30 वर्ष)	L-14	02-07-2020
3	कमलेश भटनागर, श्री बांगड़ रा.उ.मा.वि. पाली	गणित	01/08/1968	01-07-91 व.अ.	डीपीसी	तृतीय (30 वर्ष)	L-14	01-07-2021
4	बस्ती मल चौहान, रा.उ.मा.वि. जालोर	गणित	01/08/1964	01-07-91 व.अ.	डीपीसी	तृतीय (30 वर्ष)	L-14	01-07-2021
5	दिनेश कुमार राठौड़, रा. महा गांधी स्कूल, सुनेल, झालावाड़	भौतिक विज्ञान	27/05/1974	01-07-99 व.अ.	डीपीसी	द्वितीय (20 वर्ष)	L-13	01-07-2019
6	भवानी शंकर भट्ट, रा.उ.मा. वि. गंगापुर, भीलवाड़ा	गणित	22/06/1967	01-07-91 व.अ.	डीपीसी	तृतीय (30 वर्ष)	L-14	01-07-2021
7	विजय कुमार देवलिया, रा.उ. मा.वि. पिपलिया, झालावाड़	गणित	15/10/1964	01-07-91 व.अ.	डीपीसी	तृतीय (30 वर्ष)	L-14	01-07-2021

उक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण संबंधित कार्मिकों द्वारा किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।


(काना राम)

आईएस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 20-11-2021

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-3/भौगक/एसीपी/स्वीकृति/2021/

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग
- 02- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक) जिला मुख्यालय।
- 03- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक मुख्यालय।
- 04- सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 05- संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक।
- 06- निजी एवं रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर